न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–323/17

1 गुल्ली बेवा स्व. श्री गोकूल,

2. कजोड पुत्र स्व. श्री गोकूल, समस्त जातियान मीना, निवासी ग्राम तूँगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. गंगू पुत्र श्री रेवड, जाति माली, निवासी ग्राम तूँगा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत तूँगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 01.11.16

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी के आदेश दिनांक 21.06.2017 (प्रकरण संख्या 18/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण के कब्जे कश्त एवं खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 735 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 726 रकबा 4 बिस्वा गैर मु0 चाह, खसरा नम्बर 729 रकबा 1 बिस्वा ग्राम तूँगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर मे स्थित है, अपीलाधीन भूमि की खातेदारी इन्द्राज खतौनी एकीकरण सम्वत 2019 में गोकूल, मूल्या पुत्रान नारायण हिस्सा 1/2, धन्ना पुत्र गणेश हिस्सा 1/2 दर्ज है, धन्ना पुत्र गणेश व मूल्या पुत्र नारायण नाऔलाद फौत हुये जिनका एकमात्र जायज वारिस व उत्तराधिकारी गोकूल पुत्र नारायण ही था तथा वरवक्त बन्दोबस्त कार्यवाही उक्त साबिक खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1995 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2001 रकबा 0.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1963 रकबा 0.05 हैक्टयर गै. मु. चाह, खसरा नम्बर 1987 रकबा 0.01 हैक्टयर गै0मु. चाह कायम किये गये है तथा सन् 2002 से सन् 2002 का पर्चा तकमील भी उक्त खातेदार को तक्सीम हुआ है, मूल्या पुत्र नारायण व धन्ना पुत्र गणेश का विरासति नामान्तरकरण एकमात्र जायज वारिस व उत्तराधिकारी के नाम नही खुला था क्योंकि अपीलार्थी गोकूल आराजीयत के खातेदार धन्ना, नारायण पुत्रान गणेश व मूल्या अनुसूचित जनजाति के अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्हे गांव के कुछ षडयंत्रकारी व्यक्तियों रेवड पुत्र धन्ना माली के साथ मिलकर अपीलार्थी गोकूल को बहला फुसलाकर विरासति नामान्तरकरण खुलवाने के बहाने हेतु ले गये व वहॉ विरासति नामान्तरकरण मूल्या व गोकूल के नाम खुलाकर अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात का षडयंत्रपूर्वक फर्जी तरीके से विक्रय पत्र तस्दीक करा लिया जबकि अपीलार्थी गोकूल पुत्र नारायण ने न तो अराजीयात का बेचान ही किया है, और ना ही किसी दीगर व्यक्ति को रहन, व्यय ही किया है क्योंकि कानूनन अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के सदस्यों की खातेदरी की भूमि किसी अन्य जाति के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

व्यक्ति अथवा स्वर्ण जाति के व्यक्ति रेवड पुत्र धन्ना माली के व्यक्ति के नाम नही की जा सकती जबकि रेस्पोडेन्ट गंगू जाति से माली है जो कि स्वर्ण जाति में आता है, जिनके नाम न तो विक्रय पत्र ही कानूनन हो सकता है और न ही अवैध विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण रेवड पुत्र धन्ना के नाम ही खोला जा सकता है, जो कि खोला गया, अपीलाधीन नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही साजिशाना तौर पर विधि विरूद्ध तरीके से गई है व कराई गई है जो प्रारम्भ से ही पूर्णतः अवैध प्रभावहीन व शून्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों का बिना अवलोकन किये ही व बिना अपीलार्थी को सुने ही जो निर्णय सादिर किया है, जो कि न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2017 वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अपीलार्थी के कायम मुकामान हेतु नियत थी जिसके अन्तर्गत न तो कायम मुकामान की जवाब देही ही ली और न ही मृतक के जायज वारिसों को रिकार्ड पर लिया गया है और न ही उनकी विधि अनुसार ही सुनवाई की गई है, बिना सुनवाई के ही अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधि व न्याय विरूद्ध पारित किया गया जबकि अपीलार्थीगण के समस्त वारिसान को विधिवत सुना जाना चाहिये था इस विधि दोष के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित नही होने के कारण मंसूख किये जाने येाग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2017 को पारित करते हुय अपीलार्थीगण की अपील को खारिज करते हुये जिस आशय से निर्णय पारित किया है उसकी पालना में तहसीलदार बस्सी कानूनन कार्यवाही नही कर सकता क्योंकि तथाकथित बैचान दिनांक 06.07.1964 का है और इस विक्रय पत्र को अवैध करार करने की समयावधि 3 वर्ष है अर्थात तहसीलदार बस्सी दिनांक 06.07.1967 तक ही कार्यवाही कर सकते थे और यदि नामान्तरकरण से भी समयावधि मानी जावे तो भी सन् 1968 तक ही कार्यवाही कर सकते है जो कि इस कारण समयावधि समाप्त हो चुकी है तथा जरिये गजट नोटिफिकेशन सन् 1971 तक 12 वर्ष की समयावधि की गई है, इस अवधि के अनुसार भी धारा 175 राजस्थान काश्तकरी अधिनियम की कार्यवाही करने की समयावधि 1974–1975 में समाप्त हो चुकी है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये नेटिफिकेशन दिनांक 05.10.1981 के 30 साल की मियाद मानी गई है जिसके तहत भी अवधि 1994 व 1995 में समाप्त हो चुकी है इस कानूनी बिन्दुओं को देखते हुये यह स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी कानून के अनभिज्ञ है अर्थात अपना निर्णय पारित करते समय अपना तनिक भी दिमाग नही लगाया है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलीय निर्णय अवैध व शून्य व न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा अपील संख्या 18/2011 पर पारित निर्णय

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 21.06.2017 एवं सरंपच, ग्राम पंचायत तूँगा पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 52 पर पारित निर्णय दिनांक 30.09. 1965 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये उक्त नामान्तरकरण के आधार पर की गई पश्चात्वर्ती सभी कार्यवाहियों को निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे तथा अपीलाधीन भूमि के खातेदारी इन्द्रज की दिनांक 30.09.1965 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

कैवियटकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की काई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार जाति मीना, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति गोकूल पुत्र नारायण व धन्ना पुत्र गणेश थे जिन्होने गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति रेवड़ पुत्र धन्ना को वादग्रस्त आराजी का बैचान करने पर नामान्तरकरण संख्या 52 सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा दिनांक 30.09.1695 को विधि विरूद्ध तौर पर तस्दीक किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अवैधानिक एवं नियमों के प्रतिकूल होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2017 को यथावत रखा जाता है। चूँकि वादग्रस्त आराजी का अनुसूचिज जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बैचान किया गया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण भूमिधारी तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है प्रकरण में अविलम्ब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवही हेतु वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें तथा प्रकरण में धारा 175 की कार्यवाही के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी, बस्सी को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।